

कार्यालय अधिष्ठाता

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)- 490024

(पूर्व नाम- चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग,छ.ग.)

क्रमांक/क्रय संख्या/भावि./CCMGMC/25-26/.....264..... दुर्ग, दिनांक 12/01/26

// कोटेशन सूचना //

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग के माईक्रोबायोलॉजी/पैथालॉजी विभाग के उपयोग हेतु सामग्री क्रय किया जाना है इस हेतु विक्रेता/इच्छुक फर्मों से कोटेशन आमंत्रित की जाती है । विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	सामग्री का नाम	Reg. Specifacaton	Strength/ Packing Size	Make	Rate	GST@	Total Rate (6+7)
1	2		3	4	5	6	
01	Ampicillin (10mcg)	100 Disc/Vial					
02	Ampicillin/Sulbactam(10/10mcg)	100 Disc/Vial					
03	Amoxicillin (30mcg)	100 Disc/Vial					
04	Amikacin (30mcg)	100 Disc/Vial					
05	Amoxyclav (20/10mcg)	100 Disc/Vial					
06	Azithromycin (15mcg)	100 Disc/Vial					
07	Aztreonam (30mcg)	100 Disc/Vial					
08	Cephotaxime (30mcg)	100 Disc/Vial					
09	Ciprofloxacin (5 mcg)	100 Disc/Vial					
10	Cefepime (30mcg)	100 Disc/Vial					
11	Cefoperazone (75mcg)	100 Disc/Vial					
12	Ceftazidime (30mcg)	100 Disc/Vial					
13	Ceftriaxone (30mcg)	100 Disc/Vial					
14	Cefuroxime (30mcg)	100 Disc/Vial					
15	Cefpodoxime (10mcg)	100 Disc/Vial					
16	Cefoxitin (30mcg)	100 Disc/Vial					
17	Clindamycin (2 mcg)	100 Disc/Vial					
18	Cefepime /tazobactam(30/10 ug)	100 Disc/Vial					
19	Cefoperazone/sulbactam(75/10ug)	100 Disc/Vial					
20	Ceftriaxone -Sulbactum(30/15)	100 Disc/Vial					
21	Colistin (10 mcg)	100 Disc/Vial					
22	Clarithromycin 15mcg)	100 Disc/Vial					
23	Gram stain kit	250ml/bottle					
24	Zn stain kit	250ml/bottle					
25	Doripenem	100 Disc/Vial					
26	Doxycycline	100 Disc/Vial					

नियम एवं शर्तें :-

01. प्राक्कलन के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक मान्य रहेगी ।
02. प्राक्कलन के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें ।
03. सामग्री उच्च गुणवत्ता की प्रदाय की जानी होगी । निम्न गुणवत्ता की सामग्री प्रदाय करने अथवा उपयोगकर्ता विभाग द्वारा गुणवत्ता के संबंध में शिकायत की दशा में उक्त सामग्री स्वयं के व्यय पर वापस ले जाना होगा ।

04. लिफाफे के उपर "रिजेजोण्ड/कमिंकल हेतु कोटेशन" लिखा हुआ होना चाहिए ।
05. आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय की जानी होगी ।
06. सामग्री का प्रदाय अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर प्रदाय नहीं किया जावेगा ।
07. आवेदित/चयनित फर्म के राज्य शासन या उसके किसी भी संस्था अथवा विभाग द्वारा फर्म को काली सूची (Black Listed) में होने की जानकारी की दशा में ऐसे फर्म का कोटेशन निरस्त कर दिया जावेगा ।
08. समस्त क्रय की प्रक्रिया छ.ग.भण्डार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भण्डार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे ।
09. अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव/भावपत्र मुह्रबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 10 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय संध्या 5.00 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा । विलंब से प्राप्त कोटेशन/प्रस्ताव मान्य नहीं किये जावेगे ।

Sharma
अधिवक्ता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)